XXXIX(a)-BR(H)-11

2806/2/2015

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 1869-III/14 जिला दमोह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-9-15	1— मैंने प्रकरण का आवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त सागर के प्रकरण क्रमांक 812/अ–5/2012–13 मे पारित आदेश दिनांक 11/03/14 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2— आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि निगरानी कर्ता की माँ जमनाबाई के नाम पर ग्राम मढ़िया पनगढ़ा प.ह.नं. 10/12 तह. दमोह में ख0नं0 8/1 रकवा 2.299 हे0 स्वत्व पर अंकित की थी। इस नंबर का बंदोबस्त उपरांत नया 13/1 बना है। जमनाबाई द्वारा दि. 28/4/84 को रजिस्टर्ड वैनामा द्वारा रकवा 0.405 हे0 गनेश सिंह को विक्रय की, इसी रकवे में से रकवा 0.405 बालमुकुन्द को विक्रय की गई एवं पुनः बालमकुन्द को रकवा 0.274 है विक्रय किया इस प्रकार निगरानी कर्ता माँ जमनाबाई द्वारा कुल 1.084 हे0 विक्रय की गई ख0नं0 8/1 रकवा 1.215 हे0 शेष बचा। बंदोवस्त में खसरा नंबर 8/1 का नया नंबर 13/1 बना जिसको रकवा 1.215 की जगह 1.11 लेख किया गया जिससे रकवे में 0.105 की कमी लेख की गई। 3— बंदोवस्त उपरांत माँ के फौत होने पर खसरा 13/1 रकवा 1.11 निगरानी कर्ता व बहन कौवाबाई के नाम पर दर्ज की गई बहन कोवाबाई द्वारा अपने हिस्से की भूमि मे से रकवा 0.607 हे.0 बालमकुन्द को विक्रय कर दी, निगरानी कर्ता द्वारा 13/1 का रकवा0.450 हे0 प्रेमनारायण राय को विक्रय कर दिया। विक्रय उपरांत उक्त ख0नं0 की 0.053 हे0 रकवा शेष बचा जो निगरानीकर्ता के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। इस प्रकार बंदोवस्त के उपरांत रकवा 0.105 हे0 एवं बंदोवस्त बाद विक्रय शेष रकवा 0.053 कुल रकवा 0.158 हे0 की कमी हुई जो राजस्व रिकार्ड में निगरानी कर्ता के नाम पर अंकित किया जाना वैद्यानिक है। 4— आवेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि निगरानी कर्ता की माँ ने गनेश सिंह को रकवा0.405हे0 विक्रय किया जो खसरा नकल 1984–85 में गनेश सिंह के नाम दर्ज/वाद पटवारी द्वारा वाद में रकवा 0.45 लेख कर दिया जिससे 0.045 हे0 निगरानी कर्ता का रकवा कम हो गया एवं बंदोवस्त में	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	0.105 हे0 की कमी हुई। रकवे की पूर्ति कराकर आवेदक के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराई जावे। 5— आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड एवं प्रस्तुत खसरा का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत खसरा में आवेदक के खसरा क्र. 13/1 में रकवे में कमी एवं अन्य खातेदार के ख0क्र0 13/2 बढ़ोत्री पाई जाती है तहसीलदार दमोह द्वारा बिना किसी जांच के राजस्व रिकार्ड को सही मानते हुए प्रकरण निराकरण किया है जिसे में सही नहीं पाता हूँ। इस कारण तहसीलदार दमोह द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.07.12 के साथ साथ अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.12.12 एवं अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.03.14 निरस्त किए जाते है। 6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी अंशतः स्वीकार करते हुए प्रकारण तहसीलदार दमोह को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए संपूर्ण जांच उपरांत प्रकरण का पुनः निराकरण करे। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प, सागर म.प्र.

रघुवीर सिंह पिता निर्भय सिंह

साकिन-फुटेरा वार्ड नं.- तह. व जिला दमोह म.प्र.

.. निगरानीकर्ता

// विरुद्ध //

म.प्र. शासन .. अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959.

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर क्र.प्र.क्र.-812/अ-5/वर्ष 2012-13 में पारित आदेश दिनांक 1.3.14 से परिवेदित होकर प्रस्तुत ।

महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निम्न प्रार्थना है -

1. यह कि संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता की माँ जमनाबाई ग्राम मढ़िया पनगढ़ा प.ह.नं. 10/12 तहसील जिला दमोह के ख.नं. 8/1 रकवा 2.299 हेक्टेयर की मालिक एवं काबिजथी इस नंबर का बंदोबस्त उपरांत नया नंबर 13/1 बना है अपीलार्थी की माँ जमनाबाई का स्वर्गवास हो गया है ।

निगरानीकर्ता की माँ जमना बाई ने दिनांक 28.04.84 को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र द्वारा 0.405 हे. जमीन गनेश को बेच दी एवं एक रा.प्र.क्र. 23/6 वर्ष 84-85 द्वारा इसी जमीन में से 0.405 हे. जमीन पर बालमुकुंद का नाम दर्ज हो गया वा 0.274

ep. 207

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प, सागर म.प्र.

रघुवीर सिंह पिता निर्भय सिंह

साकिन-पुटेरा वार्ड नं.- तह. व जिला दमोह म.प्र.

.. निगरानीकर्ता

// विरुद्ध //

म.प्र. शासन .. अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959.

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर क्र.प.क्र.-812/अ-5/वर्ष 2012-13 में पारित आदेश दिनांक 11.3.1 सेपरिवेदित होकर प्रस्तुत ।

महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निम्न प्रार्थना है -

यह कि संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता की माँ जमनाबाई ग्राम मढ़िया पनगढ़ा प.ह.नं. 10/12 तहसील जिला दमोह के ख.नं. 8/1 रकबा 2.299 हेक्टेयर को मालिक एवं काबिजथी इस नंबर का बंदोबस्त उपरांत नया नंबर 13/1 बना है अपीलार्थी की माँ जमनाबाई का स्वर्गवास हो गया है ।

निगरानीकर्ता की माँ जमना बाई ने दिनांक 28.9.84 को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र द्वारा 0.405 हे. जमीन गनेश को बेच दी एवं एक रा.प्र.क्र. 231/6 वर्ष 84-85 द्वारा इसी जमीन में से 0.405 हे. जमीन पर बालमुकुंद का नाम दर्ज हो गया वा 0.27